न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2013/00295 (50/2013) 75 एलआरएक्ट

लिच्छीराम पुत्र श्री आशाराम जाति जाट निवासी छापांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल मोटासर तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर। –अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये राजकीय अधिवक्ता
2. तहसीलदार राजस्व रावतसर

–रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी रावतसर के क्रमांक 2134 दिनांक 30.11.2006 एवं आदेश तहसीलदार प्रत्यर्थी संख्या 0 2 1909 दिनांक 07.12.2006

श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः–05.03.2020

1. अपीलाण्ट यह अपील उपखण्ड अधिकारी रावतसर के क्रमांक 2134 दिनांक 30.11.2006 एवं आदेश तहसीलदार प्रत्यर्थी संख्या 2 क्रमांक 1909 दिनांक 07.12.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष को सुना गया।
3. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत 18.05 बीघा भूमि अपीलार्थी को ''जी' 8 श्रेणी का भूमिहीन काश्तकार होना मानते हुए प्रकरण तत्कालीन उपायुक्त एवं आवंटन अधिकारी सूरतगढ द्वारा आयोजित सलाहकार समिति की बैठक में अपीलाण्ट को आवंटन का पात्र घोषित किया गया है तत्पश्चात 12.10.1992 को सलाहकार सिमति के समक्ष के समक्ष लाटरी निकाली गई व अपीलार्थी के नाम चक 109आरडी के प0 नं0 31/45 के प. नं. 31/45 के किला नं. 1 ता 25 की 23 बीघा 10 बीघा भूमि कीमतन आवंटित की गई। कम पैदावार होने व अपीलार्थी के गरीब होने की स्थिति में किश्तों की अदायगी नहीं की गई। किश्तों के सम्बन्ध में अपीलार्थी ने 11.10.2004 को प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया व पूर्व में किश्तों को जमा न करवाए जाने की मजबूरी को बयान करते हुए उपरोक्त आवंटित कृषि भूमि की

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

समस्त कीमत को जमा करवाने के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना–पत्र पर प्रत्यर्थी द्वारा कोई कार्यवाही करने के संबंध में अपीलाण्ट को सूचित नहीं किया गया। अपीलाण्ट द्वारा पता करने पर अवगत करवाया गया कि प्रार्थना–पत्र पर कोई आदेश पारित नही हुआ आदेश पारित होने पर सूचना देने का कहकर आश्वस्त किया। दिनांक 11.03.2013 को अपीलार्थी को पटवारी हल्का के माध्यम से इस आवंटन शुदा रकबा का नामान्तरण आराजीराज के तौर पर होने की जानकारी दी गई इस पर अपीलार्थी ने ऐसे इन्तकाल संख्या 74 दिनांक 07.122006 की नकल प्राप्त की व पाया कि इस इन्तकाल के जरिये अपीलार्थी के नाम को विलोपित कर उसके स्थान पर आरजी राज दर्ज कर दिया है भी जानकारी मिली की तहसीलदार मुतल्लिका के द्वारा ऐसी समस्त कार्यवाही अधीनस्थ न्यायलाय उपखण्डाधिकारी रावतसर के आदेश दिनांक 2134 दिनांक 30.11.2006 की पालना में किया है इस आदेश की क्रियान्विति करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2 न इसी क्रम में अपने आदेश 1909 दिनांक 04.12.2006 के जरिये इस इन्तकाल में नाम परिवर्तन करने की कार्यवाही की व इस इन्तकाल को स्वीकृत किया। जिस पर नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश से पूर्व अपीलाण्ट को सुना नही गया है। प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट को आवंटित भूमि थी अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में है। रकबा खारिज करने से पूर्व अपीलार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया। अपीलार्थी अपने पक्ष को प्रस्तुत करने के अधिकार से वंचित हुआ है ऐसा आदेश प्रकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है। अतः उक्त दोनों आदेश निरस्त किये जावें।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने अपील में अपीलाधीन आदेशों की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की है। इन्तकाल की अपील सुनने का न्यायालय हाजा का अधिकार नहीं है। अपील पोषणीय नही है खारिज की जावे।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपीलाण्ट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी रावतसर के आदेश क्रमांक 2134 दिनांक 30.11.2006 व उसके अनुसरण में प्रत्यर्थी संख्या –2 के द्वारा पारित आदेश क्रमांक 1909 दिनांक 07.12.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। **उपखण्ड अधिकारी रावतसर का आदेश क्रमांक 2134 दिनांक 30.11.2006 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं होने के कारण अपील पोषणीय नहीं है तथा द्वितीय आदेश**

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

तहसीलदार रावतसर के आदेश क्रमांक 1909 दिनांक 07.12.2006 है, जिसके विरूद्ध अपील सुनने का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है। प्रश्गनत रकबा अपीलाण्ट को आवंटित हुआ था जिसकी पत्रावली संख्या 619/75 लच्छीराम बनाम स्टेट निर्णय दिनांक 12.10.82 अपील में तलब की गई है, जिससे स्पष्ट है कि प्रश्गनत रकबा अपीलाण्ट को आवंटित हुआ था वह यदि खारिज हुआ है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में चाराजोही की जानी अपेक्षित है प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ भिजवाया जाना उचित है कि वह अपीलाण्ट को सुनकर प्रकरण की सम्पूर्ण जांच कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

7. उपरोक्त विवेचन विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ भिजवाया जाता है कि अपीलाण्ट को सुनकर प्रकरण की सम्पूर्ण जांच कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.04.2020 को उपस्थित हों। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 05.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडीआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
हनुमानगढ़
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.24 12:41:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: